अपील सूचना अधिकार संख्या 60/2018 तेज प्रकाश कोहली एडवोकेट सी0जे0एम0कोर्ट कम्पाउण्ड जिला–देहरादून, उत्तराखण्ड बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26–09–2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री तेज प्रकाश कोहली उपस्थित नहीं है। विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया की प्रार्थी ने सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक प्रार्थना पत्र 20.06.2018 को प्रस्तुत कर 2 बिन्दूओ पर सूचना चाही थी। अपीलार्थी ने उक्त सूचनाऐं जो उसे पत्र दिनांक 30.06.2018 द्वारा उपलब्ध करवाई गयी है, की अप्रसन्नता से यह अपील प्रस्तुत की है और वाछित सूचनाऐ सही रूप से उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है। अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 20.06.2018 से निम्न सूचनाऐ चाही थी।

1. **यह कि प्रेमनगर, श्रीगंगानगर राजस्थान के वार्ड संख्या का विवरण। (अर्थात वार्ड संख्या)**
2. **बिन्दू–1 में दर्शित वार्ड की वोटर लिस्ट का सम्पूर्ण दस्वावेजी विवरण।**

अपीलार्थी के अपील पत्र पर लोक सूचना अधिकारी ने अपने पत्र 4118 दिनांक 11.09.2018 से निम्न प्रकार सूचित किया है

> उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र के द्वारा प्राप्त अपील संख्या 60/2018 के तहत अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 3963 दिनांक 30.06.2018 के द्वारा प्रार्थी को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध करवा दी गई थी। सुलभ संदर्भ हेतु पत्र छाया प्रति संलग्न की जा रही है।
>
> अतः श्रीमान जी का जवाब अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। कृप्या अपील खारिज करने का श्रम करें।
>
> भवदीय
>
> सहायक लोक सूचना अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी के उक्त प्रतिवेदन दिनांक 11.09.2018 में अकिंत प्रतिवेदन दिनांक 30.06.2018 द्वारा प्रार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध के निम्न प्रकार से सूचित किया।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

क्र.सं	वांछित सूचना	प्रति उत्तर
1.	यह कि प्रेमनगर, श्रीगंगानगर राजस्थान के वार्ड संख्या का विवरण। (अर्थात वार्ड संख्या)	लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है चूकि खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकार के तहत नहीं आता है।
2.	बिन्दू–1 में दर्शित वार्ड की वोटर लिस्ट का सम्पूर्ण दस्वावेजी विवरण।	

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नयी सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **सहायक लोक सूचना अधिकारी एंवम उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को उसकी सूचनाओं के सम्बन्ध की दिया गया उत्तर दिनांक 30.06.2018 सही है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।**

अत :**उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है।** आदेश की एक प्रति अपीलार्थी को व सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर